

ग्रामीण महिलाओं के लिए उपयोगी तकनीकें

—सुनीता अरोड़ा

देश-विदेश में ग्रामीण महिलाओं के सबलीकरण और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का विकास निरंतर किया जा रहा है। इन तकनीकियों का ज्यादा प्रचार-प्रसार नहीं होने से आमतौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में ऐसी जानकारी का अभाव होना आम बात है। प्रस्तुत लेख में ऐसी ही कुछ उन्नत महिला उपयोगी तकनीकों के बारे में संक्षिप्त तौर पर बताने का प्रयास किया जा रहा है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तकनीकियों और प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। खासतौर पर भारत जैसे देश में, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, वहां तो इनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा में काफी कार्य किए गए हैं। नई तकनीकियों की बढ़ती ग्रामीण आबादी के एक छोटे हिस्से के लिए सम्पन्नता के भी द्वार खुले हैं। लेकिन संसाधनहीन और आर्थिक दृष्टि से कमजोर ग्रामीण आबादी का बड़ा तबका इन तकनीकों से ज्यादा लाभ नहीं उठा पाया है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों अथवा कस्बों या अन्य दूरदराज के इलाकों में रहने वाली महिलाओं में ऐसी उपयोगी तकनीकों के प्रति आज भी काफी अनभिज्ञता की स्थिति है। इसके पीछे कई कारण गिनाए जा सकते हैं, जिनमें महिलाओं में पुरुष आबादी की तुलना में अधिक अशिक्षा, घरेलू कामकाज में अति व्यस्तता, खेती एवं पशुपालन से संबंधित जिम्मेदारियों का अतिरिक्त दायित्व आदि का खासतौर पर उल्लेख किया जा सकता है।

विज्ञान और विभिन्न प्रौद्योगिकियों की बढ़ती ऐसी बहुत-सी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान ग्रामीण महिलाओं के लिए संभव है जिनका सामना उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में करना पड़ता है। इनमें परंपरागत कृषि के स्थान पर नई एवं उन्नत तकनीकों से खेती कर बम्पर उत्पादन लेना, मशक्कत कम करने वाली तकनीकों के इस्तेमाल से थकान से बचाव आदि का उल्लेख उदाहरणस्वरूप किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आईसीटी आधारित आधुनिक तकनीकों को अपनाए जाने से महिलाओं के लिए नई तकनीकों की जानकारी और उनकी ट्रेनिंग पाना आसान हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि इन तकनीकों के प्रयोग से ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा बल्कि वे आर्थिक तौर पर स्वयं को समृद्ध भी कर सकेंगी।

कई मामलों में तो यह भी देखने में आया है कि नई तकनीकियों के ग्रामीण इलाकों में आने से स्थानीय महिला श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले परंपरागत कार्य भी उनसे छिन गए, उदाहरण के लिए अनाज की ओसाई का काम पहले सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता था लेकिन ऐसी मशीनों के आगमन से इस तरह के कार्य के लिए महिला श्रमिकों की भूमिका नगण्य-सी हो गई। कमोबेश यह स्थिति फसलों के दाने निकालने से जुड़े कार्यों (थ्रेशिंग) में भी हो चुकी है क्योंकि अब स्वचालित मशीनों से कहीं कम समय और लागत में यह कार्य किया जाने लगा है। ऐसे ही न जाने कितने मामलों का जिक्र किया जा सकता है जहां पर मशीनों के कारण महिलाओं की भागीदारी लुप्तप्राय-सी हो गई है। लेकिन अधिसंख्य मामलों में ऐसा नहीं है।

देश-विदेश में ग्रामीण महिलाओं के सबलीकरण और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का विकास निरंतर किया जा रहा है। इन तकनीकियों का ज्यादा प्रचार-प्रसार नहीं होने से आमतौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में ऐसी जानकारी का अभाव होना आम बात है। प्रस्तुत लेख में ऐसी ही कुछ उन्नत महिला उपयोगी तकनीकों के बारे में संक्षिप्त तौर पर बताने का प्रयास किया जा रहा है।

वीमेन टेक्नोलॉजी पार्क— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,





रेशम पालन— महिलाओं को यदि शहतूत के पौधों की देखभाल करने तथा उसकी पत्तियों से रेशम उत्पादन में व्यापक रूप से जोड़ दिया जाए तो वे घर पर ही छोटे-स्तर पर ही अपनी आय को बढ़ा सकती हैं। इसमें रेशम के कीड़ों को पत्तियां खिलाने से लेकर उनके द्वारा तैयार कोकून को इकट्ठा करने जैसे काम शामिल हैं।

मशरूम और मशरूम बीज उत्पादन— मशरूम बीज या स्पान की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाओं के लिए यह व्यवसाय अत्यंत कम लागत में शुरू करने और कमाई करने का अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित 'आर्या' कार्यक्रम के अंतर्गत इससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। गौरतलब है कि एक किलोग्राम गेहूं के सूखे भूसे से लगभग 700-800 ग्राम तक मशरूम की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। एक किलोग्राम स्पान से 10 थैले आसानी से भर जाते हैं। इस प्रकार इसकी खेती के लिए सूखा भूसा और गेहूं मुख्य सामग्री हैं। महिला कृषक बड़ी आसानी से मशरूम उत्पादन कर लागत से लगभग दोगुनी आय हासिल कर सकते हैं। यही नहीं मशरूम से तैयार संवर्धित उत्पाद जैसे अचार अथवा इसे सुखाकर बेचने से भी अच्छी-खासी आय हासिल की जा सकती है।

भारत सरकार के सीड (साइंस फार इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट) प्रभाग द्वारा प्रायोजित वीमेन टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से महिला उपयोगी तकनीकियों के बारे में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है। ऐसे पहले पार्क की स्थापना वारंगल, तेलंगाना में की गई थी। यहां पर बुनाई, धातु से कलाकृतियां तैयार करने, केले से तंतुओं का निष्कर्षण, विनिर्माण कार्य, कृषि एवं वन आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण आदि से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है।

वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन की ट्रेनिंग— कौशल विकास के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप इत्यादि बनाने की प्रशिक्षण सुविधा देश के कई राज्यों में प्रदान की जा रही है। यदि महिलाओं द्वारा तैयार इन उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री से जोड़ा जाए तो निश्चय ही छोटे-छोटे महिला समूहों को लाभ मिल सकता है।

टमाटर पाउडर तैयार करने की तकनीक— टमाटर सुखाने की नई विधि कृषि विज्ञान केंद्र, रेड्डीपल्ली, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित की गई है, इसका उपयोग महिला कृषक आसानी से कर सकती हैं। इस तकनीक से एक किलोग्राम टमाटर से 55 ग्राम तक पाउडर या सूखी फांके प्राप्त होती हैं। इनका बाजार में आकर्षक मूल्य मिल जाता है।

जैविक कीटनाशी उत्पादन पर आधारित कौशल विकास— ग्रामीण क्षेत्रों में नीम के फल पर्याप्त मात्रा में जमीन पर गिरे हुए पाए जाते हैं। यदि इनके बीजों से जैविक कीटनाशी तैयार करने एवं उनका खेतों में छिड़काव करने का तरीका महिलाओं को सिखाने की शुरुआत की जाती है तो इससे न सिर्फ कीटनाशी प्रबंधन में काफी मदद मिलती है बल्कि आय का अतिरिक्त साधन भी हो सकता है। इसी तरह से बेशरम और अन्य पौधों से जैविक पीड़कनाशी भी तैयार कर फसल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

आंवला कैंडी का बढ़ता व्यावसायिक महत्व— आंवले के प्रसंस्करित उत्पादों में मुख्य तौर पर कैंडी, मुर्ब्बा अचार, जूस, बर्फी, लड्डू, सुपारी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हाल के समय में ऐसे उत्पादों की मांग में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन उत्पादों को तैयार करने के लिए चंद दिनों की ट्रेनिंग और अत्यंत कम धनराशि की जरूरत पड़ती है। प्रशिक्षित महिलाओं के लिए घर से ऐसे प्रसंस्करित उत्पादों को तैयार कर बेचने के लिए बाजार भेजना मुश्किल काम नहीं है।

भाकृअनुप—केंद्रीय कृषिक महिला संस्थान, भुवनेश्वर के प्रशिक्षण कार्यक्रम— यह संस्थान मुख्य रूप से कृषि कार्यकलापों से जुड़ी महिलाओं को हुनरमंद बनाने और उनकी मेहनत में कमी

भारतीय महिला बैंक

आर्थिक रूप से कमजोर एवं स्वउद्यम से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2017 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी और बाद में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। यहां से इच्छुक महिलाओं को ब्यूटी पार्लर की शुरुआत करने, कैटरिंग बिजनेस चलाने, बच्चों के लिए डे केयर सेंटर खोलने आदि कार्यों के लिए ऋण रियायती दरों पर दिए जाते हैं। इनकी प्रमुख ऋण योजनाओं के नाम हैं— अन्नपूर्णा योजना, श्री शक्ति योजना, देना शक्तिस्कीम, उद्योगिनी स्कीम आदि।

महिलाओं को मिला तीन गुना अमचूर का मूल्य

भाकृअनुप-केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ ने फार्मर्स फर्स्ट योजना के अंतर्गत आंधी से गिरे हुए एवं तुड़ाई के दौरान चोट खाए हुए कच्चे फलों से अमचूर बनाने हेतु मोहम्मद नगर तालुका और मीठेनगर गांव की महिला कृषकों को प्रेरित किया। हालांकि महिला कृषक पहले भी कच्चे फलों से सूखी फांके बनाती थीं। फांकों की निम्न गुणवत्ता होने तथा मार्केटिंग के दौरान बिचौलियों द्वारा कमीशन लेने की वजह से बमुश्किल इन फांकों की 60-90 रुपये किलोग्राम की दर से कीमत मिल पाती थी। वैसे बाजार में अमचूर 400-500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है। महिलाओं को उच्च गुणवत्ता की सूखी फांके बनाने एवं उनको अमचूर पाउडर में परिवर्तित कर पैकेजिंग करने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा मार्केटिंग शृंखला से बिचौलियों को हटाने के लिए मार्केटिंग के टिप्स भी दिए गए। इस प्रकार इस अमचूर पाउडर को 250-300 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया। महिला उत्पादकों को पहले की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक कीमत मिली।

लाने हेतु कम मशकत वाले औजारों के विकास पर काम कर रहा है। यहां पर मछली पालन के वैज्ञानिक तरीके फलों के मूल्य-संवर्धन साइलेज और साइलेज आधारित खाद उत्पादन की पद्धति, सब्जी उत्पादन के उन्नत तरीके, कौशल विकास, मुर्गीपालन या समेकित कृषि प्रणाली से आय अर्जन में सुधार आदि पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।

पटसन से तैयार विभिन्न उत्पादों से अतिरिक्त आय- पटसन या जूट से आजकल तरह-तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और हाल के वर्षों में इनकी देश-विदेश में काफी मांग बढ़ी है। इनमें पटसन के रेशों से तैयार साड़ियां, पटसन के वस्त्र, दरियां, वॉल हैंगिंग, हस्तशिल्प, थैले, फुटवियर आदि का नाम लिया जा सकता है। ग्रामीण महिलाएं इस तरह के उत्पादों को तैयार करने का प्रशिक्षण लेकर अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए परिवार के लिए आय अर्जन कर सकती हैं।

सौर शुष्क की बढ़ती उपयोगिता- जब अधिक मात्रा में सब्जियों का उत्पादन हो और बेचने पर कम कीमत मिल रही हो, ऐसी स्थिति में गृहिणी या कृषक महिलाएं सौर शुष्क की मदद से न सिर्फ इन्हें सुखाकर सुरक्षित रख सकती हैं बल्कि बाद में बेमौसमी सब्जियों के रूप में ऊंचे दामों पर बेचकर ज्यादा कमाई भी कर सकती हैं। इन सूखी सब्जियों को गर्म पानी में भिगोने से उनका आकार वापिस ताजी सब्जी के बराबर हो जाता है। ऐसे सौर शुष्क बाजार में कई तरह के आकार में उपलब्ध है। अत्यंत कम निवेश

में यह कार्य प्रारंभ कर ज्यादा मेहनत किए बिना मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर- महिलाओं के लिए अनुकूल कई अन्य वैकल्पिक आय अर्जन पर आधारित कार्यकलापों का भी इस क्रम में नाम लिया जा सकता है। इनमें जैविक उत्पादों का उत्पादन मधुमक्खी पालन, फलों से पेय पदार्थों का निर्माण, जड़ीबूटियों की खेती, फूलों की खेती, बकरी पालन, मुर्गीपालन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डेयरी उद्योग, दूध से तैयार विभिन्न प्रसंस्करित उत्पादों का विपणन, पौधों की नर्सरी, अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन और उनका विपणन आदि प्रमुख हैं।

एनजीओ की बढ़ती भूमिका- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियों के अलावा एनजीओ और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी सार्थक और प्रभावी तौर पर कार्य किए जा रहे हैं। इनमें समूह की महिला सदस्यों को कौशल-आधारित ट्रेनिंग देने से लेकर उनके द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता प्रदान करना भी शामिल है। ऐसे हुनर में सिलाई-कटाई, ब्यूटीशियन, कैंटरिंग के लिए आवश्यक पाक कला, हस्तकला आदि शामिल हैं। इस प्रकार नई तकनीकों और हुनर से महिलाओं का न सिर्फ परिचय होता है बल्कि घर की चारदीवारी से बाहर की दुनिया में ऐसे संगठनों के भरोसे कदम रखने का आत्मविश्वास भी पनपता है।

निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप- सीएसआर फंड द्वारा उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल अब ग्रामीण उत्थान के कार्यकलापों में हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की निजी कंपनियों का इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देखा जा सकता है। यही नहीं इफको जैसी सहकारी और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दलित-वंचित लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि तैयार माल की बिक्री हेतु भी मार्गदर्शन दिया जाता है।

इस प्रकार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त वर्णित प्रयासों, सरकारी योजनाओं और नई गतिविधियों से स्थानीय महिलाओं में तेजी से जागरूकता आ रही है। आने वाले समय में इसमें और तेजी आएगी और महिलाएं अपने परिवार के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे सकेंगी।

(लेखिका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, नई दिल्ली में सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।)

ई-मेल : sunitaarora108@gmail.com

आगामी अंक

जून, 2018 : प्रगति पथ पर ग्रामीण भारत